राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4388/2022

डॉ. नीरज चौधरी

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, (ग्रुप–2), शासन सचिवालय, राज. जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज (चिकित्सा विभाग) राज. सरकार, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 03.11.2022

<u>उपस्थित –</u>

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
एम.एस. काला, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त संशोधित अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी जो कि चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। उसका स्थानान्तरण पीएचसी, जैतपुरा, अलवर से सीएचसी, भिन्दूसी, अलवर में किया गया है। उनका तर्क है कि पूर्व में आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सीपीएचसी, शिवाजी पार्क, अलवर से पीएचसी, जैतपुरा, अलवर में किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 पारित किये जाने से पूर्व ही पीएचसी, जैतपुरा में अन्य व्यक्ति डॉ. सुधीर यादव का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा किया जा चुका था। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण दिनांक 03.09.2022 का आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। इसके पश्चात् भी वर्तमान स्थानान्तरण आदेश दिनांक 14.10.2022 में अपीलार्थी का वर्तमान पदस्थापन स्थान पीएचसी जैतपुरा अलवर दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी ने पीएचसी जैतपुरा, अलवर में कार्य ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में वर्तमान

आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। अतः अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2022, 07.09.2022 एवं 03.09.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।

3. हमनें विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

4. आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पीएचसी, भिन्दूसी, अलवर में किया गया है। पूर्व में अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.09.2022 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैतपुरा, अलवर खण्ड में किया गया था, परन्तु उक्त स्थान पर अपीलार्थी ने कार्य ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जैतपुरा, अवलर में अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जा चुका था। ऐसे में इसी क्रम में अपीलार्थी को अन्य स्थान पीएचसी, भिन्दूसी, अलवर में पदस्थापित किया गया है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी का वर्तमान में स्थानान्तरण भिन्दूसी, अलवर में इसलिए किया गया है, क्योंकि पीएचसी, जैतपुरा, अलवर में पद रिक्त नहीं था। आलोच्य आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता एवं लोकहित में जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई नियम विरूद्धता एवं दुर्भावना दर्शित नहीं है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2019 से पदस्थापित है। समुचित समय तक पदस्थापित रहने के पश्चात् अपीलार्थी को स्थानान्तरित किया गया है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

6. आदेश आज दिनांक 03.11.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)